न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 65 / 2021

अनवान

1. श्री किशनलाल पिता रूपा गाडरी निवासी ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्रीमती मंजु पुत्र रूपा गाडरी निवास ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. श्री लेहरूलाल पिता रूपा गाडरी निवासी ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भैरू पिता केला गाडरी नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्री कैलाश पिता मांगीलाल पारीक नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. श्री देबीलाल पिता उदा अहिर नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. श्री कालु पिता चुन्ना अहिर नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. तुलसी पिता रोडा अहिर नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. श्री देबीलाल पिता गोकल सालवी नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. श्री नारायण पिता सोराम नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. श्री नाना पिता सोराम नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. श्री रतन पिता रूपा अहिर नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. श्री भंवरलाल पिता रामचन्द्र सुनार नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. श्री देबीलाल पिता छोगा सुनार नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
12. श्री शान्तिलाल पिता चुन्नीलाल सुनार नि0 ओज्याडा तह0हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 10.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.10.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 124 की कृषि भूमि की आ0न0 1308 रकबा 0.0506है0,आ0न0 1309 रकबा 0.2782है0,आ0न0 1310 रकबा 0.1138है0, आ0न0 1312 रकबा 0.6323है0, आ0न0 1313 रकबा 0.1265है0, आ0न0 1316 रकबा 0.0506है0, आ0न0 1317 रकबा 0.4805है0, आ0न0 1320 रकबा 0.5058है0, आ0न0 1527 रकबा 0.1138है0, आ0न0 1528 रकबा 0.4679, आ0न0 1529 रकबा 0.4805है0, आ0न0 1532 रकबा 0.4552 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.7557 है0** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.10.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 12 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली ... का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:01:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा